

नायब तहसीलदार राजगढ जिला अलवर

(3)

4/2021 तारीख प्रवेश : 02.02.2021 तारीख निर्णय: 19.03.2021

रजिस्ट्रार पटवारी हल्का धमरेड तहसील राजगढ जिला अलवर

.....प्रार्थी

बनाम

कल्याण सहाय जाति महाजन निवासी धमरेड तहसील राजगढ

.....अप्रार्थी

निर्णय

निर्णय दिनांक 19.03.2021

प्रकरण वास्ते निर्णय पेश हुआ । प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त पटवारी हल्का धमरेड तहसील राजगढ जिला अलवर के द्वारा प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि मूर्ति मन्दिर श्री गोपीनाथ धमरेड तहसील राजगढ जिला अलवर के नाम दर्ज रिकार्ड रकबा 0.73 हैक्ट किस्म बारानी उत्तम ,662 रकबा 0.02 गै.मु. चाह , 663 रकबा 0.37 हैक्ट किस्म बारानी उत्तम पर श्री रजि. पुत्र कल्याण सहाय जाति महाजन निवासी धमरेड तहसील राजगढ जिला के द्वारा अतिक्रमण कर रखा है। पटवारी हल्का धमरेड द्वारा रिपोर्ट दिनांक 2021 ने आराजी खसरा नम्बर 661 रकबा 0.73 हैक्ट में से 0.70 हैक्टेयर पर श्री फसल, आराजी खसरा नम्बर 662 रकबा 0.02 गै.मु. चाह में से 0.02 हैक्ट. सो की फसल , आराजी खसरा नम्बर 663 रकबा 0.37 हैक्ट में से 0.35 हैक्टेयर पर सरसो की फसल कर काशत कर श्री रेवतीरमण पुत्र कल्याण सहाय जाति महाजन निवासी ग्राम धमरेड द्वारा अतिक्रमण होना बताया गया ।

प्रकरण के सम्बंध में राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक 3(2) राज -6 / 2007 / पार्ट /5 जयपुर दिनांक 12.09.2018 तथा परिपत्र क्रमांक प.3(2) राज-6/2007 /पार्ट जयपुर दिनांक 20.08.2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार पटवारी हल्का धमरेड द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को दर्ज होना पाया जाने पर प्रकरण दर्ज पंजिका किया जाकर नोटिस जारी किया गया । जिसकी विधिवत् तानील होकर प्राप्त हुई। अप्रार्थी रेवतीरमण मय अधिवक्ता के उपस्थित आये । उनकी ओर से श्री भूपेन्द्र शर्मा अधिवक्ता द्वारा अपना वकालतनामा पेश किया गया । जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा जवाद नोटिस दिनांक 10.03.2021 को पेश किया गया । जो शामिल पत्रावली किया गया।

कुन्वाई एवं अन्य साक्ष्य /सबूत पेश करने हेतु समय दिया गया । उनके द्वारा जवाब के अतिरिक्त अन्य कोई साक्ष्य/सबूत दस्तावेज पेश नहीं किया गया। (4)

अप्रार्थी द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत कर कथन किये गये कि जवाब का संक्षिप्त सार निम्न प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 661 रकबा 0.73 हैक्टे. 662 रकबा 0.02 हैक्टेयर , 663 रकबा 0.37 हैक्टेयर वाके ग्राम धमरेड मे स्थित है जिस पर प्रार्थी का सायल का गत करीब 70 साल से काबिज होकर काशत करता चला आ रहा है। जो प्रारंभ से ही प्रार्थी व उसके पूर्वजो की कब्जे काशत की खातेदारी आराजी रही है और अन्त मे निवेदन किया गया है कि आराजी से राज्य सरकार का कोई सम्बंध सरकार नहीं है , जो नोटिस दिया गया है वह कानूनन गलत है, खातेदारी की आराजी पर श्रीमान न्यायालय को धारा 91 एल.आर .एक्ट की कार्यवाही करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है । धारा 91 की कार्यवाही सिवायचक एवं गोचर भूमि के बाबत की जा सकती है, नोटिस खिलाफ कानूनन होने से निरस्त किये जाने योग्य का निवेदन किया गया।

मेरे द्वारा प्रकरण पत्रावली का गहनता से मनन कर अवलोकन किया गया एवं राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों का भी ध्यानपूर्वक मनन कर अवलोकन किया गया । बहस अप्रार्थी अधिवक्ता सुनी गई। बहस मे जवाब नोटिस मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये धारा 91 की कार्यवाही निरस्त करने का निवेदन किया गया। राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप-6) विभाग परिपत्र क्रमांक 3(2) राज-6/2007/पार्ट/5 जयपुर दिनांक 12.09.2018 के बिन्दु संख्या -5 मे राज्य सरकार द्वारा " मंदिर भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति पुजारी या पटवारी द्वारा ध्यान मे लाये जाने पर तहसीलदार अतिक्रमी के विरुद्ध कार्यवाही इस प्रकार करेंगे जैसे कि राजकीय भूमि पर अतिक्रमी के विरुद्ध करते है तथा मंदिर मूर्ति- के हितों के संरक्षण हेतु दायित्वाधीन होंगे। जिला कलक्टर मूर्ति मंदिर की भूमि सम्बंधी अतिक्रमण रिपोर्ट सिवायचक/चारागाह नुनि की तरह राजस्व कर्मियों से नियमित रूप से प्राप्त कर धारा 91 राजस्थान नू-राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत उनके प्रकरण दर्ज कर तदनुसार प्रभावी निस्तारण करेंगे" के निर्देश जारी किये गये है।

रिपोर्ट पटवारी हल्का के अनुसार मंदिर मूर्ति श्री गोपीनाथ जी महाराज वाके ग्राम धमरेड की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 661 रकबा 0.73 हैक्ट. किस्म बरानी उत्तम ,खसरा नम्बर 662 रकबा 0.02 गै.मु. चाह, खसरा नम्बर 663 रकबा 0.37 हैक्ट मंदिर मूर्ति श्री गोपीनाथ जी महाराज के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। जिस श्री रेवतीरमण पुत्र कल्याण सहाय जाति महाजन निवासी धमरेड तहसील राजगढ जिला अलवर द्वारा खसरा नम्बर 661 पर रकबा 0.70 हैक्टेयर , 662 पर रकबा 0.02 हैक्टेयर , खसरा नम्बर 663 पर रकबा 0.35 हैक्टेयर वाके ग्राम धमरेड पर सरसों की फसल काशत कर अतिक्रमण होना पाया गया है और अप्रार्थी रेवतीरमण द्वारा भी अपने जवाब नोटिस मे करीब 70 वर्षो से काबिज होकर काशत करने का कथन से अतिक्रमण होने की पुष्टि होती है।

अतिक्रमित भूमि राजस्व रिकार्ड हाल जमाबन्दी के अनुसार मंदिरमूर्ति (6) की गोपीनाथ जी महाराज वाके ग्राम धमरेड की खातेदारी की आराजी है, जिसके अग्रार्थी श्री रेवतीरमण पुत्र कल्याण सहाय जाति महाजन निवासी धमरेड द्वारा कल्लो फसल काशत कर अतिक्रमण होना पुष्ट होता है, जिससे मंदिर मूर्ति की भूमि होने से अप्रार्थी रेवतीरमण पुत्र कल्याण सहाय जाति महाजन निवासी धमरेड को हैसियत एक अतिक्रमी की है और मंदिर मूर्ति की भूमियों से राजस्थान न्यू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुये अप्रार्थी / अतिक्रमी श्री रेवतीरमण पुत्र कल्याण सहाय जाति महाजन निवासी ग्राम धमरेड तहसील राजगढ जिला अलवर को बेदखल किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मंदिरमूर्ति श्री गोपीनाथ जी महाराज वाके ग्राम धमरेड तहसील राजगढ जिला अलवर की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 661 रकबा 0.73 हैक्ट अतिक्रमित रकबा 0.70 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 662 रकबा 0.02 हैक्टेयर अतिक्रमित रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 663 रकबा 0.37 हैक्टेयर अतिक्रमित रकबा 0.35 हैक्टेयर से बेदखल किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। सम्बंधित न्यू-राजस्व निरीक्षक व पटवारी हल्का धमरेड तहसील राजगढ जिला अलवर को तहरीर जारी हो कि अतिक्रमी को मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट न्यायालय मे प्रस्तुत करे, साथ ही पटवारी रिपोर्ट अनुसार सरसो की फसल काशत की नियमानुसार नीलामी कार्यवाही की जावें। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो, नम्बर से कम हो बादपूर्ति दाखिल लेख भण्डार हों।

आज दिनांक 19.03.2021 को मेरें द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय चुनाया गया ।

(अंकित कुमार)

नायब तहसीलदार राजगढ (अलवर)
राजगढ (अलवर)